

संचिका संख्या-अ.पा.-66/2011...770/वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव मित्राल,
उप वजट नियंत्रक-सह-उप सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-

19/08/2019

विषय:- राजस्व प्राप्ति के अन्तर्गत "घटाएँ वापसियाँ" से संबंधित उपशीर्ष के संबंध में ।

प्रसंग:- वित्त विभाग का पत्रांक-835/वि० दिनांक-24.08.2016 एवं महालेखाकार कार्यालय का पत्रांक- टी०एम०- उपशीर्ष-85-1-(16-17)-1714 दिनांक- 09.08.2016 तथा पत्रांक- Try 1 (19-20)-83 दिनांक-26.07.2019

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व अन्तर्गत "घटाएँ वापसियाँ" के लेखांकन के संबंध में एकरूपता बनाये रखने हेतु महालेखाकार कार्यालय द्वारा नये उपशीर्ष खोलने में सहमति प्रदान करते हुए पूर्व से कार्यरत उपशीर्ष को बंद कर दिया गया है ।

वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी सूचना प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपको दिया गया था तथा अनुरोध किया गया था कि "घटाएँ वापसियाँ" से संबंधित राशि निकासी करने के क्रम में महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्गत उपर्युक्त पत्रांक- टी०एम०-उपशीर्ष-85-1-(16-17)-1714 दिनांक- 09.08.2016 के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई की जाय, परन्तु कतिपय आह्वरण एवं संवितरण पदाधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारियों द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इस संबंध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक- Try 1(19-20)-83 दिनांक-26.07.2019 की छाया-प्रति संलग्न है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त मामले में वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-835/वि० दिनांक- 24.08.2016 (छाया-प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,


(संजीव मित्राल) 19/8/19

उप वजट नियंत्रक-सह-उप सचिव ।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

एच०आर० श्रीनिवास
सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 24.8.2016

विषय:- राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत "घटाएँ वापसियाँ" से संबंधित उपशीर्ष के संबंध में ।

प्रसंग:- वरीय उप महालेखाकार (ले० एवं भी० एल० सी०) के पत्रांक- टी०एम०-उपशीर्ष -85-1(16-17)-1714 दिनांक- 09.08.2016 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में कहना है कि कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व अंतर्गत "घटाएँ वापसियाँ" के लेखांकन में एकरूपता बनाए रखने हेतु महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निम्नांकित उपशीर्ष खोलने में सहमति प्रदान की गयी है:-

1. कर राजस्व के अधीन प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0020-निगम कर से लेकर प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क में सभी मुख्य शीर्ष अंतर्गत "घटाएँ वापसियाँ" हेतु मुख्य शीर्ष/उपमुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष के अंतर्गत "0099-घटाएँ वापसियाँ" उपशीर्ष ।

II. करेत्तर राजस्व के अधीन प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0046-मुद्रा निक्का इलाई तथा टकसाल से लेकर प्राप्ति मुख्य शीर्ष 1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं में सभी मुख्य शीर्ष अंतर्गत "घटाएँ वापसियाँ" हेतु मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष के अधीन लघुशीर्ष-900-घटाएँ वापसियाँ के अंतर्गत "0009-घटाएँ वापसियाँ" उपशीर्ष ।

2. महालेखाकार कार्यालय द्वारा राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत "घटाएँ वापसियाँ" हेतु उपरोक्त सहमति के आलोक में सॉफ्टवेयर में उपशीर्ष खोल दिया गया है और पूर्व से कार्यरत "घटाएँ वापसियाँ" से संबंधित उपशीर्ष को बंद कर दिया गया है ।

3. अतः अनुरोध है कि कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व में "घटाएँ वापसियाँ" में एकरूपता बनाए रखने हेतु महालेखाकार कार्यालय द्वारा उपशीर्ष खोलने में दी गयी सहमति के आलोक में पत्र निर्गत की तिथि से कोषागार में "घटाएँ वापसियाँ" से संबंधित राशि निकासी करने से संबंधित कर एवं करेत्तर राजस्व में घटाएँ वापसियाँ अंतर्गत उपरोक्त खोले गए उपशीर्ष के अंतर्गत ही दिए गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन,

(एच०आर० श्रीनिवास)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापक- अ०पा० 66/2011 835/वि०, पटना, दिनांक 24.8.2016

प्रतिलिपि : वरीय उप महालेखाकार (ले० एवं भी० एल० सी०) महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-टी०एम०-उपशीर्ष-85-1 (16-17)-1714 दिनांक- 09.08.2016/ उपमहालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

24/8
(एच०आर० श्रीनिवास)

सचिव (संसाधन)

ज्ञापक- अ०पा० 66/2011 835/वि०,

पटना, दिनांक

24.8.2016

प्रतिलिपि : अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, बिहार, पटना/ सभी उपसचिव-सह-उप बजट नियंत्रक, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8
(एच०आर० श्रीनिवास)

सचिव (संसाधन)

ज्ञापक- अ०पा० 66/2011 835/वि०,

पटना, दिनांक

24.8.2016

प्रतिलिपि : श्रीमति रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित ।

24/8
(एच०आर० श्रीनिवास)

सचिव (संसाधन)



मि. नलका-
21/8/16
(542)

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक/No. टी०एम०-उपशीर्ष-85-1-(16-17)-1714
दिनांक/Date 09 08/2016

11/8/2016
महेश्वर

सेवा में,

सचिव (संसाधन),
वित्त विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

विषय:- राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत "घटाएं वापसियों" में उपशीर्ष खोले जाने पर सहमति देने के संबंध के ।
प्रसंग:- आपका पत्रांक-अ०पा०-66/2011-703/वि० दिनांक 20.07.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं आपके प्रासंगिक पत्र के संबंध में महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना ने राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत "घटाएं वापसियों" हेतु निम्नलिखित उपशीर्ष खोलने में सहमति प्रदान की है:-

1. कर राजस्व के अधीन सभी मुख्य शीर्षों में "घटाएं वापसियों" हेतु मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष के अंतर्गत "0099-घटाएं वापसियों" उपशीर्ष ।
 2. करेक्टर राजस्व के अधीन सभी मुख्य शीर्षों में "घटाएं वापसियों" हेतु मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष के अधीन लघुशीर्ष-"900-घटाएं वापसियों" के अंतर्गत "0009-घटाएं वापसियों" उपशीर्ष ।
- नोट: पूर्व में राजस्व वापसियों के अन्तर्गत "घटाएं वापसियों" हेतु कार्यरत उपशीर्ष 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006 अब बन्द मानी जाय ।

भवदीय,

तान्या सिंह

(तान्या सिंह)
वरीय उप महालेखाकार,
(लेखा एवं भी०एल०सी०)

दूरभाष/Telephone-2223251
2225796/2224812
09 AUG 2019



फैक्स / Fax 0612-2225977
तार / Gram: ACCOUNTS
टेल / Tele

534

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. Tdy 1 (19-20)-83

Dated. 26-07-2019

सेवा में,

राजिव व्यय
वित्त विभाग
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्य शीर्ष 0020 से 0045 (Sector A Tax Revenue) के अंतर्गत लघुशीर्ष "900" घटाएँ वापरियों के संबंध में।

प्रसंग :- वित्त विभाग के पत्रांक अ०पा०/66/2011835/वि० दिनांक 24.08.2016 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि वित्त विभाग के पत्रांक अ०पा०/66/2011/835/वि० दिनांक 24.08.2016 में कर राज्य वापसी के संबंध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन आहरण तथा संवितरण पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारियों द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि कर राज्य के अधीन प्राप्त मुख्य शीर्ष 0020 विभाग कर से लेकर प्राप्त मुख्य शीर्ष 0045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क में सभी मुख्य शीर्ष अंतर्गत "घटाएँ वापरियों" हेतु मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष के अंतर्गत "0099" घटाएँ वापरियों का प्रयोग किया जाना है। लेकिन कुछ माह में भभुआ, मधुबनी, रोहतास, सिवान एवं वैशाली कोषागार द्वारा ऐसा नहीं किया गया है तथा घटाएँ वापरियों राशि को मुख्य शीर्ष/उपमुख्य शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष "900" घटाएँ वापरियों में बुकिंग किया गया है। अतः उक्त कोषागार के द्वारा घटाएँ वापरियों के लघु शीर्ष "900" के अधिन बुकिंग राशि को इस कार्यालय द्वारा सुधार कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि राज्य के सभी कोषागारों को पुनः यह निर्देश दिया जाए कि इस प्रकार की कर राज्य अन्तर्गत वापसी के मामलों में हमेशा लेखांकन संबंधित विपत्र कोड अन्तर्गत उप शीर्ष 0099 घटाएँ वापसीयों के तहत ही लेखांकन चाहिए। कर राज्य वापसीयों से संबंधित राशि का जितना भी बुकिंग लघु शीर्ष "900" घटाएँ वापरियों में किया गया है उसका सुधार अपने रत्तर से करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना से इस कार्यालय को अवगत कराये तथा भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न हो इस वास्तविकता का ध्यान वित्त विभाग के प्रसंगाधीन पत्रांक दिनांक 24.08.2016 की ओर आकृष्ट करते हुए सही लेखांकन करने हेतु प्रेरित कराया जाय।

भवदीय,

[Signature]
लेखा अधिकारी,
बिहार, पटना।

[Signature]
13/08/19

[Signature]
13/8/19

LF 4033506331N
8.08.19
Bircchand Patel Path, Patna-800 001